

सागरमाला परियोजना

प्रलिस के लयल:

सागरमाला, सागरतट समृद्धल योजना ।

मेन्स के लयल:

बुनयलदी ढाँचा, वृद्धल और वकलस, सरकारी नीतयलँ और हस्तकषेप ।

चरुा में कयँ?

हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रल (MoPSW) ने वजलजान भवन, नई दलल्ली में **राष्ट्रीय सागरमाला शीरुष समतल (NSAC)** की बैठक की अधयकषता की ।

- NSAC बंदरगाह आधारतल वकलस-सागरमाला परयलोजनाओं के लयल नीत-नरलदेश और मार्गदर्शन प्रदान करने वाला शीरुष नकलय है तथा इसके कारयानवयन की समीकषा करता है । इसका गठन मई 2015 में केंद्रीय मंत्रमंडल द्वारा कयल गया था ।
- बैठक में एक नई पहल '**सागरतट समृद्धल योजना**' के माध्यम से तटीय समुदायों के समग्र वकलस पर चरुा की गई ।

सागरतट समृद्धल योजना:

- प्रधानमंत्रल ने मार्च 2021 में "**मेरीटाइम इंडयल वजलन-2030**" के वमलचन के दौरान सागरमाला - सागरतट समृद्धल योजना का शुभारंभ कयल ।
- पत्तन, पोत परवलहन और जलमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्र के तटीय कषेत्रों में चुनौतयलँ का समाधान करने के लयल इस वसलतृत परयलोजना को तैयार कयल है ।
- सागरतट समृद्धल योजना ने कुल **1,049 परयलोजनाओं** की पहचान की है, जनकी अनुमानतल लागत 3,62,229 करोड़ रुपए है ।
- जनल **चार प्रमुख कषेत्रों** में यह पहल आती है उनमें शामिल हैं:
 - तटीय अवसंरचना वकलस
 - तटीय परयटन
 - तटीय औदयलगकल वकलस
 - तटीय सामुदायकल वकलस

परयलोजना के बारे में:

- **परचलय:**
 - **सागरमाला परयलोजना** को वर्ष 2015 में केंद्रीय मंत्रमंडल द्वारा अनुमोदतल कयल गया था जसलका उद्देश्य आधुनकीकरण, मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण के माध्यम से 7,516 कललमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के आस-पास बंदरगाहों के इरुद-गरलद प्रत्यकष और अप्रत्यकष वकलस को बढावा देना है ।
 - सागरमाला परयलोजना का दृषुकलओण आयात-नरलयात (**EXIM**) और घरेलू वयलपार हेतु न्यूनतम बुनयलदी ढाँचा नवलश के साथ रसद लागत को कम करना है ।
 - सागरमाला परयलोजना वर्ष 2025 तक भारत के वयलपार नरलयात को 110 बललयन अमेरकी डललर तक बढा सकती है, साथ ही लगभग 10 मललयन नई नौकरयलँ (प्रत्यकष रोजगार में चार मललयन) पैदा कर सकती है ।
 - मंत्रालय ने संभावतल एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ **सागरमाला सीप्लेन सर्वसलज** की महत्तवाकांक्षी परयलोजना शुरू की है ।



■ सागरमाला कार्यक्रम के घटक:

- बंदरगाह आधुनिकीकरण और नए बंदरगाह विकास: मौजूदा बंदरगाहों का अवरोध और क्षमता वसितार तथा नए ग्रीनफील्ड बंदरगाहों का विकास ।
- पोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाना: घरेलू जलमार्गों (अंतरदेशीय जल परिवहन और तटीय शिपिंग) सहित मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स समाधानों के माध्यम से बंदरगाहों की आंतरिक भूमि से कनेक्टिविटी को बढ़ाना, कार्गो आवाजाही की लागत और समय का अनुकूलन करना ।
- बंदरगाह संबद्ध औद्योगीकरण: EXIM और घरेलू कार्गो की लॉजिस्टिक लागत तथा समय को कम करने के लिये बंदरगाह-समीपस्थ औद्योगिक क्लस्टर और तटीय आर्थिक क्षेत्र विकसित करना ।
- तटीय सामुदायिक विकास: कौशल विकास और आजीविका निर्माण गतिविधियों, मत्स्य विकास, तटीय पर्यटन आदि के माध्यम से तटीय समुदायों के सतत विकास को बढ़ावा देना ।
- तटीय नौवहन और अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन: सतत और पर्यावरण के अनुकूल तटीय तथा अंतरदेशीय जलमार्ग के माध्यम से कार्गो को स्थानांतरित करने के लिये प्रोत्साहन ।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sagarmala-projects>